राजस्व वाद संख्या– 58/2015
मुन्नीदेवी आदि बनाम गिरवरसिंह आदि
निर्णय दिनांक– 24/2/22

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर– 58/2015

जीसीएमएस नम्बर :– 2015/00050

1. मुन्नी देवी पत्नी श्री केसुसिंह
2. सुशीला
3. निर्मला

(2–3) पुत्रियान केसुसिंह

(1–3) जाति राजपूत निवासी बुहाना तह0 बुहाना जिला झुंझुनू

बनाम

1. गिरवर सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपुत तह0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. श्रवण सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपुत तह0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
3. दशरथ सिंह हनुमान सिंह जाति राजपुत तह0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
4. रतन कंवर पुत्री हनुमान सिंह जाति राजपुत तह0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
5. लाली देवी पत्नी हनुमान सिंह जाति राजपुत तह0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
6. प्रमोद पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति ब्राहमण निवासी भिर्र तह. बुहाना
7. सत्यवीर पुत्र श्री इन्द्राजसिंह जाति अहीर निवासी झांझा तह0 बुहाना
8. कौशल्या बाई पुत्री प्रभाती सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
9. रामकिशन पुत्र प्रभाती सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
10. इन्द्रसिंह पुत्र प्रभाती सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
11. पवन सिंह पुत्र प्रभाती सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
12. सोमवती पत्नी श्री कबूल सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तह0 बुहाना
13. सरजीत पुत्र कबूल जाति राजपूत निवासी बुहाना तह0 बुहाना
14. सुरेन्द्र पुत्र कबूल जाति राजपूत निवासी बुहाना तह0 बुहाना
15. सवाई सिंह पुत्रान रड़मल सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
16. बजरंग सिंह पुत्र रड़मल सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
17. रेवतसिंह पुत्र रड़मल सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
18. अमरा देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
19. कंवरपाल पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
20. पप्पुसिंह पुत्र श्री जसुसिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
21. बिमला पत्नी श्री जस्सूसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तह0 बुहाना
22. सुमेर सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
23. प्रदीप सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति [illegible] निवासी [illegible]
24. रतनी पत्नी श्री बहादुर जाति राजपुत निवासी [illegible]
25. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री लहन सिंह [illegible] जिला गुड़गांव (हरि0)
26. सुमित्रा पत्नी श्री विरेन्द्र जाति [illegible] निवासी महेन्द्रगढ़ (हरि0)
27. संजय पुत्र श्री बस्तीराम जाति [illegible] तह0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

28. बीना देवी पत्नी श्री कालुराम जाति कुम्हार निवासी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
29. जगदीश पुत्र रोहताश सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0
30. राजपाल सिंह पुत्र रोहताश सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
31. अनील सिंह पुत्र श्री रोताश सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
32. रविसिंह पुत्र श्री औमप्रकाश सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
33. शारदा पत्नी श्री औमप्रकाश सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
34. चमेली पत्नी श्री जमन सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
35. कृष्ण सिंह पुत्र श्री जमन सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
36. कृष्णा देवी पत्नी श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
37. संजय पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
38. विजयसिंह पुत्र श्री बच्चन सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
39. किशन सिंह पुत्र मंगेज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
40. गजराज सिंह पुत्र मंगेज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
41. सवाई सिंह पुत्र मंगेज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
42. नत्थुसिंह उर्फ नन्दु सिंह पुत्र मंगेज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
43. कल्याण सिंह पुत्र पुत्र मंगेज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
44. माल सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
45. रामकिशन सिंह पुत्र घीसासिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
46. विक्रम सिंह पुत्र घीसासिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
47. औमवती पत्नी श्री घीसासिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
48. सत्यवीर सिंह पुत्र जयनारायणसिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
49. जयपाल सिंह पुत्र जयनारायणसिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
50. बाला देवी पत्नी श्री जयनारायण सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
51. राजू सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
52. रामवीर सिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
53. बलवीर सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
54. महावीर सिंह पुत्र पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
55. महेन्द्र सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
56. रतन सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
57. पवन सिंह पुत्र श्री मदन सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
58. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदन सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
59. कृष्णा पत्नी श्री मदन सिंह जाति राजपुत निवासी बुहाना।
60. नरेश पुत्र महीपाल जाति जाट निवासी मनोहरपुरा तहसील बुहाना
61. जीराज सिंह पुत्र श्री बाघ सिंह जाति राजपुत नि0 बुहाना
62. अजीत सिंह (अंकित सिंह) पुत्र श्री सतीदान सिंह जाति राजपुत
63. बसन्त सिंह पुत्र कुरड़ सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
64. मांगुसिंह पुत्र कुरड़ सिंह जाति राजपूत निवा[illegible] तह0 बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
65. सन्तरा पत्नी श्री पर्वत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
66. रमेश सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
67. रामनिवास सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

68. महेन्द्र
69. विजय सिंह
70. महिपाल
} पुत्रान अमर सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

71. अन्तर कंवर पत्नी श्री राजपाल सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

72. सुभाष सिंह
73. पवन सिंह
} राजपाल सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

74. रामावतार सिंह
75. जयवीर सिंह
76. शकंर सिंह
77. लालसिंह
} हजारी सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना

78. विष्णु सिंह दतक पुत्र राजवीर जाति राजपूत निवासी बुहाना
79. भरत सिंह पुत्र स्व. श्री महेश दान सिहं जाति राजपूत निवासी बुहाना
80. बबीता पत्नी श्री लिलुसिंह नवीरा महेश दान सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
81. पुष्कर पुत्र श्री लीलुसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
82. सन्तोष पुत्री बसन्त सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
83. उर्मिला पुत्री बसन्त सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
84. गजराज सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
85. पृथ्वी सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
86. कृष्ण सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
87. तेजसिंह पुत्र सरदार सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
88. लक्ष्मी पत्नी स्व. रामपाल सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
89. सोनू पुत्र श्री रामपाल सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
90. विजयसिंह दतक पुत्र रुपबाई पत्नी श्री निरंजन जाति राजपूत निवासी बुहाना
91. चित्रादेवी पत्नी श्री भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
92. गुड्डी पुत्री श्री भगवत सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना
93. राजपाल सिंह दीनदयाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
94. रामपाल सिंह पुत्र दीनदयाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तह0 बुहाना जिला झुंझुंनू राज0
95. लैण्ड होल्डर तहसील बुहाना जिला झुंझुंनू राज0

............प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक आदेश

–:: निर्णय ::–

दिनांक –...............

वादीगण की ओर से वाद पत्र नि...

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि गत ख... रकबा 3 बिस्वा, ख.न. 666 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, ख.न. 60 रकबा ... बीघा 16 बिस्वा ख.न. 189 रकबा 15 बीघा 18 बिस्वा ख.न. 149 रकबा 9 बी... बिस्वा ख.न. 100 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा ख.न. 139 रकबा 19 ... रकबा 19 बीघा ख.न. 292 रकबा 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बीघा 15 बिस्वा ख.न. 494 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा ख.न. 495 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा ख.न. 496 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा ख.न. 663 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ख.न. 691 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा ख.न. 781 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा ख.न. 815 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा ख.न. 907 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा ख.न. 969 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा ख.न. 1024 रकबा 21 बीघा ख.न. 1031 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा ख.न. 1107 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा किता 22 रकबा 231 बीघा 4 बिस्वा था जिसमें श्योनारायण सिंह का 1/8 अर्थात 1 हिस्सा श्यालूसिंह का 1/8 अर्थात 1 हिस्सा मकतूल सिंह का 1/8 अर्थात 1 हिस्सा कालूसिंह व रड़मल का 1/8 अर्थात 1 हिस्सा बचन सिंह का 1/8 अर्थात 1 हिस्सा तथा केसुसिंह व बाघ सिंह का 2/3 एवं हनुमान सिंह का 1/3 हिस्सा दर हिस्सा 1/8 अर्थात 1 हिस्सा मंगेजसिंह का 1/8 अर्थात 1 हिस्सा एवं श्योदान सिंह का 1/8 अर्थात 1 हिस्सा था जिसके अनुसार केशुसिंह व बाघ सिंह के एवं हनुमान सिंह फैजूसिंह के कुल 1/8 हिस्सा मे 28 बीघा 7 बिस्वा भूमि आती थी जिसमें केशुसिंह व बाघ सिंह के 2/3 हिस्सा में 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि थी तथा हनुमान सिंह के हिस्सा में 9 बिघा 9 बिस्वा रकबा आता था इस भूमि का बाहमी बंटवारा होने पर गत ख.न. 171 उनके हिस्से मे था गत ख.न. 171 का रकबा 19 बीघा था जो उनके रिकार्ड मे दर्ज 1/8 हिस्सा के अनुसार ही था बाघसिंह नाऔलाद अविवाहित फौत हो गया तो उसका हिस्सा केशुसिंह जिसको केशरसिंह भी लिखा है उसको व हनुमान सिंह को बराबर बराबर मिल गया है इस प्रकार गत ख.न. 171 सम्पूर्ण केसर सिंह व हनुमान सिंह को मिल गया है।

2. यह कि वाद पत्र के खण्ड न. 1 में वर्णित भूमि के हाल ख.न. 524 रकबा 0.85 है. ख.न. 355 रकबा 0.06 है. ख.न. 442 रकबा 0.14 है. ख.न. 481 रकबा 0.10 है. ख.न. 483 रकबा 1.10 है. ख.न. 486 रकबा 2.75 है. ख.न. 1158 रकबा 0.65 है. ख.न. 1470 रकबा 0.70 है. ख.न. 1471 रकबा 2.21 है. ख.न. 2405/404 रकबा 0.05 है. किता 9 रकबा 7.76 है. ख.न. 443 रकबा 0.90 है. ख.न. 480 रकबा 0.03 है. ख.न. 2042 रकबा 1.55 है. किता 3 रकबा 2.48 है. निर्मित किये गये है तथा शेष रकबा जिन खातेदारो ने बेचान कर दिया तो वह अलग खाता में दर्ज हो चुकी है।

3. यह कि वादीगण केसुसिंह (केसरसिंह) के वारीसान है तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 हनुमानसिंह के वारीसान है बाघसिह नाऔलाद अविवाहित फौत हो गया है उसका हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 5 को उतराधिकार में मिल गया है तथा मंगेज सिंह के वारीसान प्रतिवादी सं. 38 लगायत 42 के गत ख.न. 171 रकबा 19 बिघा बाहमी बंटवारा में वादीगण एवं प्रतिवादीस. 1 लगायत 5 व प्रतिवादी सं. 39 लगायत 43 के बाहमी बंटवारा में हिस्सा में आई हुई है जिसके वर्तमान ख.न. 480 रकबा 0.03 है. ख.न. 443 रकबा 0.90 है। ख.न. 483 रकबा 1.10 है. ख.न. 486 रकबा 2.75 है. किता 4 रकबा 4.78 है. रकबा बनाये गये है वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 एवं प्रतिवादी सं. 39 लगायत 43 में भी बाहमी बंटवारा हो रखा है।

4. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 एवं उनके हकपूर्वाधिकारीयों ने अपने हिस्सा में से 0.32 है रकबा प्रतिवादी सं. [illegible] पत्र से बेचान कर दिया है जिस पर वह काबिज है उनके हिस्से में से [illegible] राजपाल व रामपाल के नाम से खातेदारी भी दर्ज हो चुकी है।

5. यह कि भूमि गत ख.न. 171 से बने हाल ख.न. 443, 483, 486 किता 4 रकबा 3.78 है. का भी मौके पर बाहमी बंटवारा [illegible] का पूर्वी तरफ का 1.59 है. रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मंगेज सिंह के वारीसान प्रतिवादी सं. 39 लगायत 43 के हिस्सा में आया हिस्सा जिस पर काबिज है ख.न. 486 का पश्चिमी हिस्सा एवं ख.न. 483 का पूर्वी हिस्सा वादीगण के हिस्से में आया था जिसमें से 0.16 है. रकबा उन्होने प्रतिवादी सं. 93 व 94 को तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 ने भी 0.16 है. रकबा प्रतियादी सं. 93 व 94 को बेचान किया है। इस प्रकार ख.न. 486 का पूर्वी 1.59 है. रकबा के बाद पश्चिम तरफ 0.32 है. रकबा प्रतिवादी सं. 93 व 94 का है एवं उसके बाद ख.न. 486 का शेष रहा रकबा 0.84 है. ख.न. 483 का पूर्वी 0.50 है. रकबा कुल 1.44 है. रकबा वादीगण का है तथा ख.न. 483 का 0.60 है. रकबा एवं ख.न. 480 सम्पूर्ण 0.03 है. तथा ख.न. 443 रकबा 0.90 है. कुल 1.43 है. रकबा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के कब्जा कास्त में है एवं इसी अनुसार वे काबिज है।

6. यह कि भूमि ख.न. 524 रकबा 0.85 है. घीसासिंह एवं जयनारायण सिंह के हिस्सा के बाहमी बंटवारा में आया है तथा ख.न. 1470 बाहमी बंटवारे में बचनसिंह के वारीसान के हिस्से में आया है जिस पर प्रतिवादी सं. 36 लगायत 38 काबिज है तथा ख.न. 1471 रकबा 2.21 है. प्रतिवादी सं. 51 लगायत 56 केहिस्सा में आया है जिसका उन्होने खाता विभाजन भी करवा लिया है एवं अब शेष रकबा में भी उनका नाम दर्ज रह गया है जो हटाये जाने योग्य है।

7. यह कि भूमि हाल ख.न. 483 रकबा 1.10 है. ख.न. 1158 रकबा 0.65 है. किता 2 रकबा 1.75 है. प्रतिवादी सं. 45 लगायत 50 जो घीसासिंह एवं जयनारायणसिंह के वारीसान है इनके नाम दर्ज कर दी गई जबकि घीसासिंह व जयनारायण सिंह के वारीसान के कब्जा में ख.न. 524 है. ख.न. 483 नही है जो गलती से विभाजन में उनके नाम ख.न. 483 दर्ज की गई है। उनका वास्तविक कब्जा ख.न. 524 पर ही है।

8. यह कि वाद पत्र का खण्ड न0 1 में वर्णित भूमि व उसके हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 एवं प्रतिवादी सं. 39 लगायत 43 के हिस्से में 19 बीघा रकबा आता है जो गत ख.न. 171 था जिससे बने हाल ख.न. 480, 483, 448 एव 443 का कुल रकबा 4.78 है. बनता है जो 19 बीघा ही है अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 व प्रतिवादी सं. 39 लगायत 43 का जो वाद पत्र के खण्ड न. 1 में वर्णित भूमि मे हिस्सा बनता है उसी अनुसार वे रकबा पर काबिज है उनके कुल रकबा 231 बीघा 4 बिस्वा में 1/8 हिस्सा में 28 बीघा रकबा आता है लेकिन वे केवल 19 बीघा रकबा इस दावा के माध्यम से मांग कर रहे है।

9. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 व 39 लगायत 43 का वर्तमान रिकार्ड में 1/8 हिस्सा दर्ज है एवं अपने 1/8, 1/8, 1/8 हिस्सा में आने वाला रकबा 4.78 है. पर 0.32 है. बेचान करने के बाद शेष पर काबिज है लेकिन इस भूमि का खाता संयुक्त रहने से वादीगण को भारी हकतलफी है तथा प्रतिवादी सं. 38 लगायत 43 के पास ख.न. 524 होने व उनके नाम ख.न. 483 दर्ज होने से एवं प्रतिवादी सं. 51 लगायत 56 द्वारा अपना खाता विभाजित करवाने के बावजूद उनका नाम इस भूमि की खातेदारी में दर्ज रह जाने से एवं वादीगण का खाता संयुक्त रहने से वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकेगा।

10. यह कि भूमि ख.न. 524 रकबा 0.85 है. मे घीसा[illegible] वारीसान प्रतिवादी स. 45 लगायत 47 का 1/2 एवं प्रतिवादी सं. 48 [illegible] 36 [illegible] के हिस्सा नही है इसी पर सम्पूर्ण पर प्रतिवादी सं. 45 लगायत 50 का [illegible] इस भूमि [illegible] उक्त प्रतिवादी सं. 45 लगायत 50 ने पहले खाता विभाजन करवाया [illegible] आया था व शेष ख.न. 483 उनके नाम से सहवन से दर्ज हो गया जबकि [illegible] का कब्जा ख.न. 524 पर था अर्थात

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उनके हिस्से में ख.न. 524 एवं 1158 था जो उनके रकबा के अनुसार सही था लेकिन सहवन से 524 की अपेक्षा ख.न. 483 उनके नाम दर्ज हो गया है तथा ख.न. 524 में प्रतिवादी सं. 51 लगायत 56 का नाम गलत रुप में दर्ज रह गया है जबकि उसने अपना सम्पूर्ण हिस्सा खाता विभाजन में ख.न. 1471 रकबा 2.21 है. के रुप में प्राप्त कर लिया है इसलिए ख0न0 524 में उनका नाम गलत दर्ज हुआ है जो दुरुस्ती योग्य है।

11. यह कि भूमि ख.न. 524 रकबा 0.83 है. पर प्रतिवादी सं. 36 लगायत 38 का ना तो कब्जा है ना ही कोई हिस्सा है बल्कि हिस्से में व कब्जा में ख.न. 1470 रकबा 0.70 है. आया हुआ है जिस पर वे काबिज है इस प्रकार मोके पर विभाजन है लेकिन माल कागजात में खाता संयुक्त है।

12. यह कि भूमि वर्तमान ख.न. 443, 480, 2042 किता 3 रकबा 2.48 है. ख.न. 524 रकबा 0.85 है. तथा ख.न. 355, 442, 481, 483, 486, 1158, 1470, 1471, 2405/404 किता 9 रकबा 7.76 है. में कुल रकबा 2.48 0.85 7.76 11.09 में वादीगण का 1.44 है0 रकबा है प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का 1.43 है. रकबा है तथा प्रतिवादी सं. 39 लगायत 43 का 1.59 है. रकबा है तथा प्रतिवादी सं. 45 लगायत 50 का 0.85 है. रकबा है जिसका वे विभाजन करवाने के अधिकारी है।

13. यह कि वादीया एवं प्रतिवादीगण का खाता संयुक्त रहने से ख.न. 524 जिस पर कब्जा प्रतिवादी सं. 45 लगायत 50 का है इसमें प्रतिवादी सं. 51 लगायत 56 का एवं प्रतिवादी सं. 36 लगायत 38 का नाम दर्ज करने से वादीगण को भारी परेशानी है इसलिए उनके लिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

14. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने एवं ख.न. 524 का रिकार्ड गलत होने तथा विभाजन के बाद भी प्रतिवादी सं. 51 लगायत 56 का नाम वादीगण के साथ दर्ज होने से पैदा हुआ है अतः दावा अन्दर मियाद है।

15. यह कि विवादित भूमि गांव बुहाना में स्थित है इसलिए यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

16. यह कि दावा घोषणात्मक के लिए 1/–रु एवं, खाता विभाजन के लिए 1/–रु कोर्ट फीस नियत है अतः दावा कुल 2/–रु कोर्ट फीस पर सेवामें पेश है।

17. यह कि दावा द्वितीय प्रति में है दावा के साथ अपडेटेड रिकार्ड पेश है एवं वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि :–

(क) कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि ख.न. 524 रकबा 0.85 है., ख.न. 355, ख.न. 442, 481, 483, 486, 1158, 1470, 1471, 2405/404 किता 9 रकबा 7.76, ख.न. 443, 480, 2042 किता 3 रकबा 2.48 है. कुल रकबा 11.09 में वादीगण का 1.44 है0 रकबा का प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का 1.43 है. रकबा तथा प्रतिवादी स. 36 लगायत 38 का 0.70 है. रकबा का प्रतिवादी सं. 45 लगायत 50 के 0.85 है. रकबा का प्रतिवादी सं. 39 लगायत 43 का 1.59 है. रकबा का एवं प्रतिवादी सं. 93 व 94 के 0.32 है. रकबा का खाता विभाजित कर लगान अलग से कायम कर रिकार्ड में अमल करने की कृपा क[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को तलबी जारी [illegible] गई सभी प्रतिवादीगण की तामील सम्यक रूप से हुई। प्रतिवादी संख्या [illegible] प्रतिवादी संख्या 45 लगायत 49 व प्रतिवादी संख्या 60 की ओर से जवाब दावा [illegible] प्रतिदावा पेश किया गया। शेष

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
जिला झुन्झुनूं

प्रतिवादीगण की बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 43 की ओर से जबावदावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा चाहा है कि–

1. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं. 1 मे उल्लेखित कुल खसरा 22 कुल रकबा 231 बीघा 4 बिस्वा में प्रतिवादी सं. 39 लगायत 43 के 1/8 हिस्से में 28 बीघा 7 बिस्वा भूमि आती है। इसके अलावा बाघसिंह के हिस्से की भूमि के वैद्य उत्तराधिकारी भी उक्त प्रतिवादीगण ही है। गत खसरा न. 171 जिसके वर्तमान में खसरा सं. 480 रकबा 0.03 है0, ख.न. 443 रकबा 0.90 है0, ख.न. 483 रकबा 1.10 है0, ख.न. 486 रकबा 2.75 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4. 78 है0 बने है का वादीगण, प्रतिवादीगण सं. 1 लगायंत 5 तथा प्रतिवादी सं. 39 लगायत 43 ने वाद पत्र के खण्ड सं. 5 मे उल्लेखानुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं काबिज कास्त है अब उक्त प्रतिवादीगण सं. 39 लगायत 43 के हिस्से एवं अधिकार में कानून वादोत्तम के खण्ड सं. एक में वर्णितानुसार भूमि आती है परन्तु उक्त प्रतिदावा के माध्यम से उक्त प्रतिवादीगण गत ख.न. 171 जिसके नये नम्बरों का उल्लेख उपर किया जा चुका है बाहमी बंटवारे के आधार पर खाता विभाजित करवाना चाहते है उचित न्यायालय शुल्क, अवधि व क्षेत्राधिकार में प्रतिदावा प्रस्तुत है।

अतः प्रतिवादी सं. 39 लगायत 43 की ओर से वादोत्तर एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण आंशिक रुप से एवं प्रतिदावा, प्रतिवादीगण सं. 39 लगायत 43 स्वीकार किया जाकर उक्त प्रतिवादीगण को गत खसरा नं. 171 वर्तमान खसरा नं. 480, 443, 483, 486 किता 4 कुल रकबा 4.78 है0 के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार बाहमी बंटवारे के आधार पर खाता विभाजित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदार करे।

प्रतिवादी संख्या 45 लगायत 50 की ओर से जबावदावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा चाहा है कि–

1. यह कि दावा का खण्ड सं. 01 जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है।
2. दावा का खण्ड संख्या 02 स्वीकार है ग्राम बुहाना स्थित ख.न. 524 रकबा 0.85 है0 पर प्रतिवादीगण 45 लगायत 50 का मौके पर कब्जा काश्त है खसरा न. 483 रकबा 1.10 है0 पर प्रतिवादीगण सं. 45 लगायत 50 कब्जा काश्त है तथा ख0न0 1158 रकबा 0.65 है0 कुल किता तीन कुल रकबा 2.60 है0 पर कब्जा काश्त है खसरा न0 483 रकबा 1.10 है0 भूमि न्यायालय आदेश दिनांक 19.07.2010 के अनुसार हिस्से में आई थी। खसरा न0 1158 रकबा 0.65 है0 भूमि का बेचान प्रतिवादी सं0 30 के हक में प्रतिवादीगण संख्या 45 लगायत 50 द्वारा जरिये रजिस्ट्रड विकय पत्र द्वारा किया गया था। लेकिन प्रतिवादी स0 30 एक चालाक व्यक्ति है और जमीन का खरीद फरोख्त का धन्धा करता है उसने धोखाधड़ी करते हुये बेईमानी से खसरा न0 483 रकबा 1.10 है0 के 1/2 हिस्से की भूमि यानि प्रतिवादी संख्या 48 लगायत 50 का हिस्सा भी दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादीगण 48 लगायत 50 ने कभी भी खसरा 483 के 1/2 हिस्से का बेचान नहीं [illegible] प्रतिवादी न0 30 ने कोई विकय राशि ही प्रतिवादीगण संख्या 48,49,50 को [illegible] है ना ही प्रतिवादीगण सं0 48 लगायत 50 के खसरा न0 483 के [illegible] हिस्से का [illegible] प्रतिवादी सं0 30 के पास है। प्रतिवादी सं0 30 के विरुद प्रतिवादीगण सं0 45 [illegible] से धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज करवाने की कार्यवाही अलग से कर रहे [illegible]

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
जिला झुन्झुनु (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 60 की ओर से जबावदावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा चाहा है कि–

1. यह कि वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खाता स0 1020 के ख0न0 355 रकबा 0.06 है0 ख0न0 442 रकबा 0.14 है0 ख0न0 481 रकबा 0.10 है0 ख0न0 486 रकबा 2.75 है0 ख0न0 1470 रकबा 0.70है0 ख0न0 2405/404 रकबा 0.05है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.80है0 भूमि में प्रति0 स0 60 का 5/162 हिस्सा है जिसमें प्रति0 स0 60 के हिस्से में 0.11 है0 भूमि आती है शेष भूमि अन्य खातेदारान की है।
2. यह कि प्रतिदावा के खण्ड स0 1 में वर्णित भूमित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रति0 स0 60 का 0.11है0 हिस्सा है जिस पर प्रति0स0 11 काबिज काश्त है चुंकि उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत रुप से बंटवारा नही हुआ है बंटवारा नही होने से प्रति0 स0 60 को काश्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रति0 सं0 60 अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहता है इसलिए प्रतिदावा पेश है।
3. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम बुहाना में स्थित होने से न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
4. यह कि प्रतिदावा 2 रुपये कोर्ट फीस पर पेश है।
5. यह कि प्रतिदावा के समर्थन में प्रति0 स0 60 का शपथ पत्र संलग्न है।

अतः प्रतिदावा पेश कर अर्ज है कि–

(क) वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खाता स0 1020 के ख0न0 355 रकबा 0.06 है0 ख0न0 442 रकबा 0.14 है0 ख0न0 481 रकबा 0.10 है0 ख0न0 486 रकबा 2.75 है0 ख0न0 1470 रकबा 0.70है0 ख0न0 2405/404 रकबा 0.05है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.80है0 भूमि में प्रति0 स0 60 का 5/162 हिस्से में 0.11 है0 भूमि का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। न्यायालय वाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 43, 45 लगायत 50, 60 बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 04–07–2022 को किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 02.08.2022 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत हैं, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:आदेश:–

न्यायालय वाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 43 [illegible] 45 लगायत 50 एवं 60 बाबत खाता व लगान विभाजन को [illegible] किया जाना [illegible] पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 524 रकबा 0.85 है0 [illegible] नम्बर 355, खसरा नम्बर 442,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

खसरा नम्बर 481, खसरा नम्बर 486, खसरा नम्बर 1470, खसरा नम्बर 2405/404 किता 6 रकबा 3.80, खसरा नम्बर 483 रकबा 1.10है., एवं खसरा नम्बर 443 खसरा नम्बर 480 खसरा नम्बर 2042 किता 3 रकबा 2.48 है. कुल किता 11 कुल रकबा 8.23 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

यह निर्णय आज दिनांक 24/8/22को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 58/2022
जीसीएमएस नम्बर :– 2015/00050

निर्णय दिनांक :– 24/8/22

मुन्नी देवी आदि बनाम गिरवरसिंह आदि

<u>दावा – खाता विभाजन</u>

वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 43, 45 से 50 की ओर श्री नरपालसिंह, सत्येन्द्र मान, सुधीर रायेगं एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 60 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख 24/8/22 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी,** बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 43 व 45 लगायत 50 एवं 60 बाबत खाता व लगान विभाजन को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः बाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 524 रकबा 0.85 है. व खसरा नम्बर 355, खसरा नम्बर 442, खसरा नम्बर 481, खसरा नम्बर 486, खसरा नम्बर 1470, खसरा नम्बर 2405/404 किता 6 रकबा 3.80, खसरा नम्बर 483 रकबा 1.10है., एवं खसरा नम्बर 443 खसरा नम्बर 480 खसरा नम्बर 2042 किता 3 रकबा 2.48 है. कुल किता 11 कुल रकबा 8.23 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–6" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

निर्णय आज दिनांक 24/8/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)